2
7/11/22

स्पीड पोस्ट
दिनांक 05/11/2022

सेवामें,

निदेशक एवं सी0पी0आई0ओ0(CPIO)
भारतीय वन्यजीव संस्थान, चंद्रबनी,
देहरादून–248007

विषयः सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के तहत मांगी जाने वाली सूचना के बारे में अनुरोध–पत्र।

1. अनुरोधकर्ता का नाम : श्री बलबीरसिंह चौहान।
2. पिता का नाम : स्व0 श्री जयसिंह चौहान।
3. निम्नलिखित सूचना कार्यालय से मांगी जाने का स्पष्ट विवरणः–

1. यह है कि आवेदकर्ता का यह कहना है संस्थान के सभी वर्ग के कर्मचारियों के भविष्य निधि (GPF) व पेंशन की धनराशि के खाता संख्या तथा जिसकी प्रतिमाह वेतनमानों से प्रत्येक कर्मचारी के वेतनमानों से कटौती व जमा की जाती है उसक बारे यह स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें कि यह धनराशि संस्थान के प्रबंधन व वित्त अधिकारी के द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से जो कटौती व जमा भविष्य निधि की जाती है उसके बारे में यह स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें की यह भविष्य निधि अभी तक जितनी धनराशि इस भविष्य निधि में जमा की गयी है उसके बारे में भी स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

2. यह है कि आवेदकर्ता का यह कहना है संस्थान के सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए भारत सरकार के जिस नियमानुसार संस्थान के सभी कर्मचारियों के लिए 2006 के वह 2019 के "भर्ती व पदोन्नतियों" के लिए जो नियम बनाये गये हैं जोकि संस्थान के मिनिस्ट्रीयल वर्ग के कर्मचारियों वह तकनीकी वर्ग के कर्मचारियों के लिए बनाये गये हैं व थे तथा लागू किये जा रहे हैं वह थे इस प्रकार से संस्थान के प्रबंधन के द्वारा यह "भर्ती व पदोन्नतियों" के नियमों किस नियमानुसार (भारत सरकार के जिस नियमानुसार) लागू गये हैं उस नियमावली के बारे में इस पर स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

3. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि–**Under RTI Act, 2005 A certified copy for ANNEXURE-I** के आर0टी0आई0 में कार्यालय आदेश वह आर0टी0आई0 के पत्रांक संख्या व **No. A/2-31/2005-WII dated 26th August,** 2022 के संदर्भ में आवेदनकर्ता का इस पर यह कहना है कि कार्यालय द्वारा अभी तकी इस पर की गयी कार्रवाई वह इस विषय पर **(No.WII/RSAC/01/2019) dated 27th October, 2020 Grievances No.4 and page no.5** पेज न0–5 पर अभी तक इस पर जो भी कार्रवाई की गयी है उस कार्रवाई किये जाने के बारे में इस पर स्पष्ट व प्रमाणित सूचना की प्रतिलिपि की की कापी जोकि 2 वर्षों से इस पर कार्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई किये जाने के बारे में प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना की कापी

DWII OFFICE
DIARY NO. 2971
DATE 7/11/22

C.P.I.O. RTI in Relevant file.
14/11/22

उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें। जबकि इस पर समिति के सभी सदस्यों के द्वारा इस पर इस प्रकार से लिखित में दिया गया निर्णय है व किया गया था जोकि निम्नलिखित हैं तथा कार्यालय की **IGRC** के द्वारा दिये गये अपने आदेश व पत्रांक संख्या–**WII/RSAC/01/2019** दिनांक 27/10/2020 की समिति के बैठक में सभी सदस्यों के अपने–अपने निर्णयानुसार वह निर्णय द्वारा सभी सदस्यों ने इस पर अपनी–अपनी सहमति के द्वारा व दिये गये निर्णयानुसार प्रार्थी की **Grievances No.4 and page no.5** में यह **Decision** के द्वारा यह निर्णय दिया गया व यह आदेश दिया गया था कि समिति के सभी सदस्यों ने इर पर अपनी–अपनी सहमति देते हुए साथ में इस **Grievances No.4 and page no.5** में व इस पर यह निर्णय लिखित में व स्पष्ट निर्णय लिया गया था कि प्रार्थी को–"The committee has agreed to granted to him Grade Pay from 4600 wef November 2009 to October 2016 and Grade Pay 4800 from November 2016 wef onwards. The calculation of his arrears will be done accordingly. However arrears will paid on receipt of grant from Ministry in WII Grant in Aid budget." लेकिन कार्यालय के द्वारा इस पर 2 वर्षों से जो भी अभी तक 2022 तक की गयी कार्रवाई किये जाने के बारे में इस पर स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें। और साथ में इस ळतपमअंदबमे छवण्4 दक चंहम दवण्5 प्रार्थना–पत्र व आवेदन–पत्र दिनांक 11/08/2020 का आवेदन–पत्र अपकम चंहम तिवउ ब्ब47 जव ब्ब94 की भी छायाप्रतिलिपि पेज संख्या–(पेज संख्या–सी/47 से सी/94 की) की भी स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

4. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि कार्यालय आदेश संख्या **No-A/307/95/-WII Part-II dated 02 November, 2019** के आवेदनकर्ता की जोकि पे फिक्स पत्र में वेतनमान रूपये 5500–9000 वह वेतनमान रूपये 6500–10500 के इन दोनों वेतनमानों की ग्रेड पे **(Grade Pay)** के बारे में स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

5. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि आवेदनकर्ता के याचिका संख्या–**WPSS No.1911 OF 2016 S/S (CIVIL WRIT PETITION NO. OF 2016 S/S JUDGEMENT DATED 19.07.2018)** की "उच्च न्यायालय" नैनीताल, उत्तराखण्ड के निर्णय वह जजमेंट की एक प्रति की स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

6. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि सभी उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के लिए "भर्ती व पदोन्नतियों" व पदोन्नतियों के लिए भारत सरकार के किस नियमानुसार नियुक्तियों वह पदोन्नतियों के लिए जो नियम संस्थान के प्रबंधन के द्वारा लागू किये गये हैं वह संस्थान ने यह नियम किय आधार पर लागू किये जा रहें हैं उसके बारे में स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

7. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि सभी लिपिक वर्ग के उच्च श्रेणी कर्मचारियों वह तकनीकी वर्ग के कर्मचारियों तथा सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए संस्थान के प्रबंधन के द्वारा पदोन्नतियों के लिए समयावधि व कितने–कितने वर्ष के अन्तराल में पदोन्नतियॉ संस्थान में पदोन्नतियां की जाती व दी जाती है उसके बारे में स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

8. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि संस्थान में अनुभाग अधिकारियों को दिये जाने वाले वेतनमानों व ग्रेड पे **(Pay Scales and Grade Pay)** दिये जाने के बारे में स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें। की जाती है।

9. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि संस्थान में अप्रैल 2006, में भर्ती व पदोन्नतियों के लिए संस्थान के प्रबंधन के द्वारा बनाये गये नियमावली को संस्थान में सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए जैसेकि वैज्ञानिक वर्ग के अधिकारियों, तकनीकी वर्ग के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए वह मिनिस्ट्रीयल वर्ग के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए इसे अप्रैल 2006 से ही सभी कर्मचारियों के लिए लागू किये जाने के बारे में इस पर स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें। की जाती है जबकि वैज्ञानिक वर्ग के कर्मचारियों वह अधिकारियों के लिए इसे सभी अधिकारियों को देय तिथियों से जैसेकि 2002, 2003, 2004, व 2005 आदि से वैज्ञानिक वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नतियों के लिए कार्यालय द्वारा आर्थिक लाभ दिये गये हैं इसके बारे में स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें की इन अधिकारियों वह वैज्ञानिक वर्ग के अधिकारियों को 2002 से पदोन्नतियों का आर्थिक लाभ दिये गये हैं जबकि यह नियमावली सभी वर्ग के कर्मचारियों वह अधिकारियों के लिए इसे 01/04/2006 लागू किये जाने का निर्णय लिया गया था।

10. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि संस्थान के सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए वह मिनिस्ट्रीयल वर्ग वह तकनीकी वर्ग के कमचारियों व अधिकारियों के लिए जिस नियमानुसार पदोन्नतियों के लिए दिये जाने वाले समयावधि वह कितने–कितने वर्ष में पदोन्नतियां की जाती है वह दी जाती है और साथ में में उप सभी कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतनमानों के बारे में भी वह कौन–कौन से वेतनमान व ग्रेड पे पदोन्नतियों के लिए रखे जाने वाले वेतनमानों के बारे भी स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

11. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि संस्थान के सभी वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नतियों के लिए संस्थान के प्रबंधन के द्वारा दोनों वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नतियों के लिए कौन–कौन से वेतनमानों को व उन वेतनमानों के ग्रेड पे **(Pay Scales and Grade Pay)** के वह वेतनमानों के बारे में भी स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

12. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि आवेदनकर्ता को कार्यालय द्वारा एक आर0टी0आई0 के द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि संस्थान के सभी वर्ग के कर्मचारियों को संस्थान में सेवाओं के लिए समूह और ग्रेडों में किया गया है कि प्रबंधन के द्वारा पदों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया था वह किया गया है कि जैसेकि– **(i) Scientific Post Group-IV** में रहेगें और तकनीकी वर्ग के कर्मचारियों **(ii) Group-III, II,**

ग्रुप के कर्मचारियों को

and I में रखा गया है और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को (iii) **Administrative ds deZpkfj;ksa dks Group-O and N** के द्वारा अंकित किया गया है और सभी वर्ग के कमचारियों का इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया था जोकि संस्थान के 1986 के भर्ती व पदोन्नतियों के नियमावली में इसके बारे मे वह 1986 में इसका स्पष्ट व लिखित मे सभी कर्मचारियों का वर्गीकरण किया गया है वह अप्रैल 2006 की भर्ती व पदोन्नतियों के नियमावली में **(ii) Technical Groups-IV, III, II and I Groups** के पदों पर व का वर्गीकरण किय गया है तो **Group-III** में रखे जाने वाले कर्मचारियों के बारे मेंबारे में भी स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें की इस **Group-III** में कौन–कौन से कर्मचारी वह अधिकारियों का इसमें वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में भी स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

13. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि जबसे इस संस्थान की स्थापना हुई वह की गयी है तब से आज तक 2022 तक संस्थान में कितने अनुसूचित जनजाति के वह कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयी हैं वह भी सभी वर्ग के कर्मचारियों के श्रेणी में (संस्थान में सभी वर्ग के श्रेणी के पदों पर की गयी नियुक्यिों के बारे में) इसके बारे में स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

14. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि कार्यालय आदेश संख्या–**No. A/3-13/87-WII Vol. IV dated 1st July, 2015** में आवेदनकर्ता की कार्यालय द्वारा अनुसूचित जनजाति के प्रमाण–पत्र की की कार्यालयाध्यक्ष (श्री राजीव कुमार मेहता) के द्वारा जॉच करवाही गयी थी इस प्रकार से से जाति के प्रमाण–पत्र की जॉच करवाने के बारे में इस पर स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें जोकि आवेदनकर्ता के जाति प्रमाण–पत्र की जॉच करवाही गयी है यह जॉच किस कारण से करवाही गयी है उस जॉच के करवाही किये जाने के बारे में स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

15. यह है कि आवदेनकर्ता का यह कहना है कि कार्यालय द्वारा वह संस्थान के प्रबंधन के द्वारा उन सभी कर्मचारियों के जाति प्रमाण–पत्रों की जॉच करवाही गयी है जिनकी नियुक्तियॉ संस्थान में अक्टूबर माह व वर्ष 2002 में नियुक्यिां की गयी थी। उन सभी कर्मचारियों के जाति प्रमाण–पत्रों की जॉच करवाही जाने के बारे में भी इस पर स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

16. यह है कि आवदेनकर्ता का यह कहना है कि संस्थान में सभी वर्ग के कमचारियों की वरिष्ठता की सूची के पद नामों सहित एक (Seniority list) ¼lhfu;fjVh fyLV½ लिस्ट की एक प्रति स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

17. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि संस्थान में "भर्ती व पदोन्तियों" के लिए जो नियम बनाये गये हैं जोकि मिनिस्ट्रीयल वर्ग व तकनीकी वर्ग के कर्मचारियों के लिए बनाये गये हैं जिसमें मिनिस्ट्रीयल वर्ग वह तकनीकी वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नतियों के लिए जो भी समय सीमा वह कितने–कितने वर्षोंके अन्तराल व कितने वर्ष में पदोन्नतियॉ दी जाती है (कितने समयान्राल में कर्मचारियों की पदोन्नतियों) की जाती वह दी जाती है इसके बारे में स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

18. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी (IAO) को दिये जाने वाले वेतनमान व ग्रेड पे (Pay Scales and Grade Pay) and Pay Matrix Level and PB इसके बारे में स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

19. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी (IAO) का पद उच्च श्रेणी का उच्चतम श्रेणी का है या वित्त अधिकारी के पद उच्चतम श्रेणी का है वह इन दोनों अधिकारियों में किस अधिकारी का पद उच्चतम श्रेणी का पद है इसके बारे में स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

20. यह है कि आवेदनकर्ता यह कहना है कि संस्थान में अनुभाग अधिकारियों (Section Officers) को दिये जाने वाले वेतनमान व ग्रेड पे (Pay Scales and Grade Pay) and Pay Matrix Level and PB इसके बारे में स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

21. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि संस्थान में अपैल 2006 में "भर्ती व पदोन्नतियों" के लिए बनाये गये नियमवली को संस्थान के सभी वर्गों के लिस जैसकि वैज्ञानिक वर्ग के अधिकारियों, तकनीकी वर्ग के कर्मचारियों व अधिकारियों वह मिनिस्ट्रीयल वर्ग के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए इसे दिनांक 01/04/006 से ही सभी के लिए लागू किये जाने के बारे में इस पर स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

22. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि संस्थान में जब इस नियमों दिनांक 01/04/2006 में "भर्ती व पदोन्नतियों" के लिए जो नियम बनाये गये हैं जिसमें सभी वैज्ञानिक वर्गों के अधिकारियों को इस नियमावली के बनाने वह साथ में, सभी वैज्ञानिक वर्ग के अधिकारियों को सभी वह कार्यालय आदेश संख्या–**No. A/11-4/94-WII (Part) dated 5th October 2006** के पत्रांक के अनुसार सभी वैज्ञानिक वर्गों के अधिकारियों को ठंबा कंजम से सभी वैज्ञानिक अधिकारियों को 2002, 2003 से पदोन्नतियों का आर्थिक दिये गये हैं इसके बारे में भी इस पर यह स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें अगर वैज्ञानिक वर्ग के अधिकारियों के लिए बैक तिथि से वह 2002 से पदोन्नतियों का आर्थिक लाभ दिये जाने वाले अधिकारियों के नामों के बारे में भी स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें। इस प्रकार से सभी तकनीकी वर्ग के कर्मचारियों को भी इसका व पदोन्नतियों का आर्थिक लाभ भी देय तिथियों से मिलना चाहिए था लेकिन संस्थान

के प्रबंधन के द्वारा अन्य सभी कर्मचारियों का इसका वह इसे दिनांक 01/04/2006 से दिसे जाने के बारे में भी इस पर स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

23. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि संस्थान में अप्रैल 2006 में "भर्ती व पदोन्नतियों" के लिए नियमों को बनाये जा रहे थे उस दौरान भी आवेदनकर्ता वह सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी कर्मचारियों ने इसके बारे में लिखित में संस्थान के कार्यालयाध्यक्ष (श्री राजीव कुमार मेहता जी को) को इस बारे में लिखित में अवगत करवाया गया था कि इस "भर्ती व पदोन्नतियों" के नियमावली के बनाते समयय भी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य इस "भर्ती व पदोन्नतियों" नियमावली में व इस कमेटी व समिति में एक सदस्य के रूप–725 वह दिनांक 17/03/2003 है और उसी प्रकार से फरवरी 2019 के "भर्ती व पदोन्नतियों" के नियमावलियों के बनाते समय में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी एक कर्मचारी वह अधिकारी को इस समिति में सदस्य नहीं रखे जाने पर बार–बार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के साथ वह इसे बार–बार नजरअंदाज किये जाने के बारे में इस पर स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करे। ऐसा संस्थान के कार्यालयाध्यक्ष (श्री राजीव कुमार मेहता जी) के द्वारा क्यों किया जा रहा है इतना होने के बावझूद भी इस समिति में फिर से एक सदस्य (श्री राजीव कुमार मेहता जी को) के रूप में रखे जाने के बारे में वह इस भी स्पष्ट वह प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

24. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि जब संस्थान में फरवरी 2019 के "भर्ती व पदोन्नतियों" के नियमावलियों के बनाते समय में भी प्रार्थी ने इस दौरान भी संस्थान की ओर से प्रबंधन के द्वारा (श्री राजीव कुमार मेहता जी को) इस कमेटी के मुख्य संदस्य के रूप में रखे गये थे वह जोकि कार्यालयाध्यक्ष सेवानिवृत्त व वर्तमान में संस्था के सलाहकार के रूप में नियुक्ति किये गये हैं जोकि 2006 की भर्ती व पदोन्नतियों के नियमावली के बनाते समय में भी इस दौरान संस्थान वह प्रशासन की ओर से प्रबंधन के द्वारा (श्री राजीव कुमार मेहता जी) को इस कमेटी के मुख्य सदस्य के रूप में इस समिति में रखे गये वह मुख्य सदस्य थे और 2019 के "भर्ती व पदोन्नतियों"के बनाते समय भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के इस नियमावली के बनाते समय भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को इस समिति में सदस्य के रूप में न रखे जाने पर 2019 के "भर्ती व पदोन्नतियों" वह इस नियमावली में भी संस्थान के द्वारा जिन–जिन सदस्यों को इस समिति के सदस्य थे उन सम्झी समिति के सदस्यों को लिखित में अवगत करवाया गया था जो–जो सदस्य इस समिति के सदस्य थे उन सभी सदस्यों को आवेदनकर्ता के द्वारा लिखित में अवगत करवाया गया था कि– "In Accordingly as per G.B. Agenda No.A/1-3/XLVII/GB/RRs/Technical & Support dated 18th April, 2006 के "भर्ती व पदोन्नतियों" के नियमावली में से कुछ बिन्दुओं वह Paras as a per Para No.8.2 page no.7 Para no.1.2.2 (f) page no.14, Para:-2.2.2 Group-II and page No.17, Para No. 2.2.4 Group-IV page no.-18 and Para No. 2.4 page no. 20 Para No. 5.2.6 and page no 24, Para No.7.0 and 7.1 (a) (b) and (c) Page no. 29 to 30 and ANNEXURE-I ANNEXURE-IV pages No.66 to 68 तक के पैराजों को छोड़े जाने के बारे में इसे किस आधार पर छोड़े 2019 के भर्ती व पदोन्नतियों के नियमावली में इसे किस कारण से छोड़े कें बारे में में भी इस पर स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा

करें। जबकि आवेदनकर्ता ने इस दौरान में भी इस समिति के सभी सदस्यों को लिखित में दिनांक 22/02/2019 को भी सभी सदस्यों को इसके बारे में लिखित में अवगत करवाया गया था उसक बावजूद भी आवेदनकर्ता के इस आवेदन–पत्र को उपरोक्त वह इन बिन्दुओं व पैराजों को समिति के सदस्यों के द्वारा इसे नजरअंदाज व इस आवेदन–पत्र की एक प्रकार से इसकी अनदेखी की गयी है और इन पैराजों को छोड़े जाने से आगे आने वाले समय में इसके छोड़े जाने से अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नतियों के आर्थिक लाभो से व पदोन्नतियों के आर्थिक लाभों से वंचित किये जा रहे हैं इस प्रकार से इस पर भी वह इन पैराजों को छोड़े जाने के बारे में इस पर स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

25. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि संस्थान में फरवरी 2019 के "भर्ती व पदोन्नतियों" नियमावली में, Under the Central Civil Servies (Revised Pay) Rules, 2019 के वेतनमानों की OPERATIVE SCALES (OLD AND REVISED SCALES TABLE) AND OLD SCALES and REVIED SCALES) and 6th Pay COMMISSION-2006 and & 7th PAY COMMSSIOM PAY SCALES-2019 TABLE) (Revised Pay Scales) के वेतनमानों भी तालिकाओं को छोड़े जाने वह विवरण न दिये जाने के बारे में भी इस पर स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

26. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि कार्यालय आदेश संख्या– **WII/ ADM/2012-13/025 dated 27th June 2013 (dated: 27.11.2009)** में जब आवेदनकर्ता की पदोन्नति पदोन्नति हुई थी तो आवेदनकर्ता का इसका आर्थिक लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन संस्थान के प्रशासनिक अधिकारी व कार्यालयाध्क्ष (श्री राजीव कुमार मेहता) व वित्त अधिकारी के द्वारा पदोन्नति का आर्थिक लाभ दिया जाना तो दूर रहा। बल्कि आवेदनकर्ता के पदोन्नति होते हुए भी पदोन्नति का आर्थिक लाभ नहीं दिया गया है इस प्रकार आवेदनकर्ता की पदोन्नति होते हुए भी पदोन्नति का आर्थिक लाभ न देते हुए वह कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा दिये गये पे निर्धारण पत्र आपके समक्ष साक्षी के रूप में उपलब्ध व संलग्ल है जोकि कार्यालय आदेश No. A/2-3/2007-WII dated 21 March, 2012 को वेतनमान निर्धारण वह पे फिक्सेशन पत्र में दिनांक 01/07/2011 को प्रार्थी की मूल वेतन वह बेसिक पे रूपये 10940/–थी लेकिन जब प्रार्थी की पदोन्नति होने पर संस्थान के कार्यालयाध्य (श्री राजीव कुमार मेहता) के द्वारा वेतन निर्धारण वह वेतनमान निर्धारण पत्र No. A/2-11/2009-WII dated 20 August, 2013 के पत्रांनुसार दिनांक 27/11/2011 में मूल वेतन वह बेसिक पे कम व रूपये 10610/–की गयी है इस प्रकार से आवेदनकर्ता का यह कहना है कि आवेदनकर्ता की पदोन्नति होते हुए भी मूल वेतन वह बेसिक पे कम किये जाने के बारे में इस पर स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें जिस कारण से आवेदनकर्ता के मूल वेतन कम की गी है उसके बारे में स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें। कापी सर्विस बुक में संलग्न है। आवेदकर्ता के सेवा पंजिका में अंकित है।

27. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि जब कार्यालय पत्रांक संख्या– **No.A/2-3/2007-WII dated 13th January, 2011** को वह दिनांक 08/10 /2010 आवेदनकर्ता की पदोन्नति संस्थान की **(The Selection Assessment and Promotion Committee (SAPC-II)** के प्रार्थी को पदोन्नति के लिए 63 अंक **(60-Marks) Assessment and Promotion Committee** ने प्रार्थी को 70 अंकों में से 61 अंक दिये गये थे लेकिन आवेदनकर्ता को **Assessment and Promotion** के लिए 60 अंक पास लिए चाहिए थे लेकिन कार्यालयाध्यक्ष (श्री राजीव कुमार मेहता) ने प्रार्थी के लिए इसे 63 अंक पर पास व उत्तर्णी हाने पर माना गया है इसके बाद आवेदनकर्ता भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, मोहकमपुर, **(CSIR-Indiand Institute of Perolum, , IIP, Mahkampur, Haridwar, Road Dehradun**) देहरादून से वहॉ के कार्यालयाध्यक्ष से वाकायदा आवेदन किया वह अनुरोध किये जाने पर उनके द्वारा वह के कार्यालयाध्यक्ष (Section Officer) ने श्री पंकज कुमार जी **(Section Officer (G) Office order No. 5 (183)/2011-Pers. Dated 22 September 2011** को वाकायदा लिखत रूप में इस बिंदु पर वहां के अनुभाग अधिकारी–(G) के पद इस पर लिखित में यह स्पष्ट किया गया था कि अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के वह को 70 में से 60 अंक चाहिए और साथ में वहां के अनुभाग अधिकारी–(G) श्री पंकज कुमार अनुभाग अधिकारी–जी ने यह कहते हुए कहा है कि आपके कार्यालयाध्यक्ष (श्री राजीव कुमार मेहता को) को 100 को 10 प्रतिशत कितना होता है इस प्रकार से वहॉ के अनुभाग अधिकारी के द्वारा प्रमाणित पत्र को यहां के प्रशासनिक अधिकक्षक (श्री राजीव कुमार मेंहता) के द्वारा इसे नजरअंदाज किये जाने पर आवेदनकर्ता को आखिर में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड की शरण में जाना पड़ा था और इस प्रकार से इसके देखते हुए व उस अधिकारी पर कार्यालय द्वारा गलत तरीकों पदोन्नति में आवेदनकर्ता को फेल किये गये जबकि आवेदनकर्ता को पास होने के लिए 70 अंकों में से 60 अंक चाहिए थे जबकि आवेदनकर्ता के 61 अंक थे वह पास होने पर भी इस संस्थान के भारतीय वन्यजीव संस्थान के कार्यालयाध्यक्ष ने आवेदनकर्ता को जानबूझ कर या उनको (संस्थान के अधीक्षक श्री राजीव कुमार को) को अंको की गणना नहीं करना आता हो जिसके कारण आवेदनकर्ता को बहुत जी मजबूर किये जाने पर वह **Assessment Promotion (SAPC-II)** पर आवेदनकर्ता पास होने पर भी पदोन्नति का आर्थिक लाभ न दिये जाने के कारण संस्थान के प्रबंधन के द्वारा इसके लिए किस अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है और जिसकी जिम्मेदारी बनती है उस अधिकारी पर की गयी कार्रवाई किये जाने की एक प्रति स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें। इसकी कापी संलग्नक है जो यहॉ के कार्यालयाध्यक्ष को इसकी गणना नहीं आ रही थी आवेदकर्ता के सेवा पंजिका में उपलब्ध हैं इस प्रकार से आवेदनकर्ता का जानबूझ कर परेशान करना भी एक भ्रस्टाचार की ही श्रेणी में आता है और इसके लिए किस अधिकारी जिम्मेदारी बनती है उस अधिकारी जिम्मेदारी फिक्स किये जाने व प्रबंधन के द्वारा इसके लिए की गयी कार्रवाई के बारे में इस पर स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने महति कृपा करें।

28. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि Assessment and Promotion कार्यालय आदेश संख्या–No.WII/ADM/2012-13/025 dated 27th June 2013 and CSIR letter No.5 (183) dated 22

september 2011 के आदेशानुसार आवेदनकर्ता को **Assessment and Promotion** पास होने के बाद भी कार्यालय आदेश No.A/3-7/95-WII dated: 12.07.2019 के पत्रांनुसार आवेदनकर्ता के बेतन से पदोन्नति होने पर कार्यालयाध्यक्ष व प्रशासनिक अधिकारी इन दोनों अधिकारियों के द्वारा आवेदनकर्ता के वेतन से रिकवरी व वेतन से वसूली करने के लिए आदेश जारी किया गया है इस दौरान आवेदनकर्ता को इतना मानसिक व आर्थिक रूप से वह बहुत ही पीड़ा का व साथ में मेरे पुरे परिवार को भी इस दौरान में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा था आवेदनकर्ता का इस पर व इसके बारे में यह स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें। किस कारण से वसूली करने का आदेश कार्यालयाध्यक्ष (श्री राजीव कुमार मेहता) ने जारी किया गया था इस पर स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना उपलब्ध करवाने की भी महति कृपा करें वह वेतनमान से वसूली करने का कारण भी बताने की महति कृपा करें जिस कारण से यह वसूली करने का आदेश पत्र कार्यालयाध्यक्ष (श्री राजीव कुमार मेहता) के द्वारा जारी किये गये जाने के बारे में स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना देने की महति कृपा करें और कार्यालय के प्रबंधन के द्वारा इस पर की गयी कार्रवाई कार्यालयाध्यक्ष (श्री राजीव कुमार मेहता) पर की गयी कार्रवाई किये जाने की सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें इसकी कापी संलग्नक है। कापी संलग्नक है। कापी संलग्न है आवेदनकर्ता के सेवा पंजिका में तथा इस पर स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

29. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि कार्यालय आदेश संख्या व No **A/2-1/2007-WII (Vol. 2015-16 dated 26th November,2015** को आवेदनकर्ता की पत्नी ने अपने नाम से संस्थान से आवेदनकर्ता की पूरी सेवा पंजिका **(Service Books)** की आर0टी0आई0 के द्वारा मांगी गयी थी उस सेवा पंजिका में आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि कार्यालयध्यक्षा (श्री राजीव कुमार मेहता) के द्वारा एक बहुत बड़ी त्रुटि पायी गयी है जोकि इस प्रकार से है कि सर्विस बुक आवेदनकर्ता की है और उसमें नाम श्री मदन मोहन उनियाल का नाम दर्ज किया गया है। इसके लिए किसकी जिम्मेदारी व कार्यालयाध्यक्ष (श्री राजीव कुमार मेहता) की बनती है जिनके देख–रेख यह कार्य व त्रुटि की गयी है इस प्रबंधन को शायद पता व बताया ही नहीं गया हो। कार्यालय कार्यालयाध्यक्ष से इस बड़ी गलती किये जाने के बारे में स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना देने की महति कृपा करें। जोकि इतनी बड़ी त्रुटि की गयी है। इसके लिए जिस अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है उस अधिकरी पर इसके लिए व उस अधिकारी पर प्रबंधन के द्वारा की गयी कार्रवाई किये जाने के बारे में इस पर स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

इसके लिए जिस अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है व उस अधिकारी पर प्रबंधन द्वारा की गयी कार्रवाई के बारे में स्पष्ट व प्रमाणित प्रतिलिपि की सूचना देने की महति कृपा करें।

30. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि कार्यालय आदेश संख्या व No.A/2-11/2009-WII dated 31/10/2008 को कितने कर्मचारियों की पे फिक्स दिनांक 01/04/2006 से की गयी है जबकि 6वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 2008 में आने पर लेकिन भारत सरकार ने इसे दिनांक 01/01/2006 से ये पे फिक्स 6वॉ आयोग के आने पर सभी कर्मचारियों की पे फिक्स दिनांक 01/01/2006 से की जानी चाहिए थी लेकिन संस्थान के कार्यालयाध्क्ष के द्वारा पे फिक्स दिनांक 01/04/2006 से पे फिक्स किये जाने के बारे में इस पर

स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें भारत सरकार के जिस नियमानुसार ये पे फिक्सी की गयी है। वह सभी संस्थाने के कर्मचारियों के यह वेतन निर्धारिण वह पे फिक्स दिनांक 01/01/2006 से न किये जाने के बारे में स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें शायद प्रबंधन को इस बारे जानकारी ही नहीं हो।

31. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि कार्यालय आदेश संख्या व **WII/ W022/15 dated 29.06.2022** के **Departmental Promotion Committee (DPC) meeting held on 27.06.2022** को जिन–जिन कर्मचारियों को **Pay Matrix Level-8** के वेतनमान दिये जाने वाले कर्मचारियों वह अधिकारियों के बारे में स्पष्ट व लिखित व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

32. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि कार्यालय आदेश संख्या व **File No. WII/ ADM/ Contrractual Staff/2022 dated 16th September 2022** न भर्ती का विज्ञापन निकाला गया न ही परीक्षा आदि हुई वह व्यक्तिगत पत्रों के द्वारा सीधी नियुक्ति कर ली गयी है इससे भारत के संविधान के अनुच्छेद–14 और अनुच्छेद–16 का सीधा–सीधा उल्लंघन किया जा रहा वह हो रहा है जोकि किसी विज्ञापन के प्रकाशन के बिना ही Contrractual Staff (Shri Rajiv Kumar Mehta) के रूप में रखे जाने के बारे में स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें तथा संस्थान इसकी किसी को भी व किसी भी कर्मचारियों को इसकी जानकारी नहीं दी गयी है इस प्रकार से इसके बारे में संस्थान के किसी भी कर्मचारी को इसके बारे में जानकारी न दिये जाने के बारे में भी इस पर स्पष्ट व प्रमाणित सूचना और साथ इनको दिये जाने वाले वेतनमान के बारे में भी इस पर स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करे कि दिये जाने वाले वेतनमान की गणना किस आधार पर की गयी है। वह साथ में जो वेतनमान दिया जा रहा है वह किस आधार पर वेतनमान फिक्स किये जाने के बारे में भी इस पर भी यह स्पष्ट वह प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें जो वेतनमान श्री राजीव कुमार मेंहता को दिया जा रहा है तथा इसकी वह वेतनमान की गणना किस आधार पर इसकी गणना की गयी है उकसके बारे में भी स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

33. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि कार्यालय आदेश संख्या व File No. WII/ADM/Contrractual Staff/2022 dated 16th September 2022 को एक सलाहकार (श्री राजीव कुमार मेहता सेवानिवृत उप–कुलसचिव के पद पर थे) के रूप में रखे जाने वाले कर्मचारी वह अधिकारी जोकि इसी संस्थान से सेवानिवृत हुए हैं जिन्हें वह इस अधिकारी को "माननीय उच्च न्यायालय" नैनीताल, उत्तराखण्ड के द्वारा **Writ Petition (S/S) No.1580 of 2011 Judement dated 26.05.2015** में **last Para**: में स्पष्ट किया गया कि इस आदेश का अनुपालन यथाशीघ्र किया जाए, अन्यथा "न्यायालय" ऐसे तापरवाह अधिाकारियों और कर्यालय अधीक्षक के साथ साजिश करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर भी विचार करने पर भी विचार कर सकता है, जोकि निदेशक के साथ साजिश कर सकते हैं। अदालत इस मामले को जॉच के लिए सीबीआई को सौंपने के अलावा निदेशक के साथ–साथ कार्यालय अधीक्षक के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने पर विचार कर सकती है। (The Director of the Institute is also ordered to take appropriate steps to revert back those respondents who have got illegal

promotions *de hors* the Rules. Let the compliance of the order be made as quickly as possible but not later than within six weeks, otherwise the Court may contemplate to lodge the FIR against such delinquent officials and the office superintendent as well, who may be in conspiracy with the Director. The Court may further consider to lodge an FIR against the Director as well as the Office Superintendent besides entrusting the matter to the CBI for holding enquiry in the matter). against the Director as well as the Office Superintendent besides entrusting the matter to the CBI for holding enquiry in the matter.and Writ Petition Special Appeal No.826 of 2019 and Judgement dated 02.09.**2019 and Point No.5** (While quashing the clause prescribed in the 2007 Rules, which provided that "the present incumbent on the post of Hindi Translator will remain in the feeder channel for promotion to the post of Section Officer; and, in future, the isolated post of Hindi Translator will get promotional avenues as per Government of India guidelines", the learned Single Judge directed the Director of the appellant-Institute to take appropriate steps to revert back those respondents who were given illegal promotion de hors the Rules. The learned Single Judge observed that, if the order was not complied with, he would contemplate lodging an FIR against the delinquent officials, and the office superintendent who had conspired with the Director; and he may further consider lodging an FIR against the Director as well as the office superintendent, besides entrusting the matter to the CBI for holding an inquiry into the matter.) बिंदु संख्याः–5. 2007 के नियमों में निर्धारण खंड को रद्द करते हुए, जिसमें प्रावधान किया गया था कि "हिंदी अनुवादक के पद पर वर्तमान पदधारी वह अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए फिडर चैनल में रहेगा, और भविष्य में, हिंदी अनुवादक के पृथक पद को भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार पदोन्नति के अवसर मिलेंगे" एकल विद्वान न्यायाधीश ने अपीलकर्ता–संस्थान के निदेशक के उन उत्तरदाताओं को वापस करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए दिशा–निर्देश दिये गये थे, जिन्होंने अवैध रूप पदोन्नति से पदोन्नतियाँ दी गई थी। वह जिन्होंने नियम तोड़े थे। एकल विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि, इसका आदेश का पालन नहीं किया गया, तो वह दोषी अधिकारियों और निदेशक के साथ साजिश करने वाले कार्यालय अधीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर विचार करेगा, और वह इस मामले की जॉच करने के लिए मामले को सीबीआई को सौंपने के अलावा निदेशक के साथ–साथ कार्यालय अधीक्षक के कार्यालयाध्यक्ष (श्री राजीव कुमार मेहता सेवानिवृत उप–कुलसचिव के पद पर थे) खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर भी विचार कर सकती है और इस प्रकार से दिनांक 26/05/2015 के केस में भी न्यायालय यह निर्णय एक विशेष **Special Appeal No.826 of 2019** डबल बेंच के न्यायाधीशो के द्वारा दिनांक 02.09.2019 को दिये गये निर्णय में यह स्पष्ट कहा गया है कि "उच्च न्यायालय के न्यायाधीयों" ने यह पाया कि यदि इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है व था, जो वह लापरवाह अधिकारियों, और

कार्यालय अधीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर विचार करेगा, जिन्होंने निदेशक के साथ यह साजिश रची थी और वह आगे भी इस मामले की जांच कराने के लिए निदेशक के साथ–साथ अधीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर विचार करने का निर्णय कर सकती है। इस प्रकार से एक "न्यायालय" द्वारा दोषी अधिकारी को संस्थान के प्रबंधन के द्वारा उसके बावझूद भी श्री राजीव कुमार मेहता को संस्थान में एक सलाहकार के रूप में रखे जाने पर बड़ा आश्चर्य होता है जोकि "न्यायालय" द्वारा दोषी घोषित किये गये वह पाले गये (संस्थान के भर्ती व पदोन्नतियों के नियमावलियों के अनियमिताओं व वेतनमानों में विसंगतियों व गलत तरीकों से दी गयी पदोन्नतियों के कारण) अधिकारी पाये गये हैं उसके बावझूद भी संस्थान के प्रबंधन के द्वारा एक न्यायालय द्वारा दोषी वह अपराधी पाये जाने पर भी फिस से इस अधिकारी को संस्थान में एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किये गये हैं। वह दोषी घोषित किये जाने पर भी संस्थान के संस्थान के प्रबंधन के द्वारा इस अधिकारी को दूबारे रखे गये हैं इस पर स्पष्ट वह प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें कि ऐसा कौन–सा कार्य उनके द्वारा किये जाने पर कि जिस कारण से संस्थान के प्रबंधन को ऐसे अधिकारी की आवश्यकता पड़ी हैं। जिनके द्वारा उनको ही रखे जाने पर जिन्होंने संस्थान में कई प्रकार की वेतनमानों में की गयी विसंगतियों के कारण वह अनियमताओं के कारण संस्थान के अधिकतर कर्मचारियों को बहुत ही वेतनमानों से संबंधित आर्थिक लाभों वंचित किये गये है वह आर्थिक हानी हो रही है ऐसा कौन–सा कार्य उनके द्वारा किये जाने कि कारण श्री राजीव कुमार मेहता को सेवानिवृत्ति के 20 दिनों के तुरन्त बाद ही संस्थान के प्रबंधन के द्वारा सलाहकार के रूप में नियुक्त किये गये हैं। जबकि संस्थान में जितनी भी वेतनमानों में की गयी विसंगयों व गलत तरीकों से संस्थान में पदोन्नतियॉ आदि ही उनके द्वारा की गयी विसंगतियों का कारण हैं। जिनके द्वारा संस्थान के कई कर्मचारी आर्थिक वेतनमानों से वंचित किये गये हैं उसके बावजूद भी ऐसे अधिकारी को संस्थान के प्रबंधन के द्वारा रख जाने के बारे में इस स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें। जोकि न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने पर भी इनको संस्थान में एक सलाहकार के पद पर रखे वह नियुक्ति की गयी है। उसके बावझूद भी ऐसे अधिकाी को संस्थान के प्रबंधन द्वारा रखे जाने के बारे में स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें जोकि न्यायालय द्वारा दोषी पाये गये हैं फिर भी संस्थान के प्रबंधन के द्वारा किस कारण से इस अधिकारी को एक सलाहकार के रूप में रखे जाने के बारे में इस पर स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें। जिस कारण से इस अधिकारी रखे गये हैं।

34. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है श्री राजीव कुमार मेहता को फिर भी संस्थान में दूबारे से रखे जाने पर जोकि "माननीय उच्च न्यायालय" के द्वारा दोषी पाये जाने पर तथा संस्थान को यह आदेश दिया गया था कि ऐसे अधिकारियों पर जिनके द्वारा संस्थान के प्रबंधन के द्वारा "माननीय उच्च न्यायालय" के आदेशानुसार संस्थान के प्रबंधन के द्वारा कार्यालयाध्यक्ष (श्री राजीव कुमार मेहता पर) पर की जोकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दोषी पाये जाने पर तथा संस्थान को यह आदेश दिया गया था कि ऐसे अधिकारियों पर पर संस्थान के प्रबंधन के द्वारा "माननीय उच्च न्यायालय" ने इनके खिलाफ वह कार्यालयध्यक्ष पर कार्रवाई किये जाने का आदेश दिया गया था इस प्रकार से "न्यायालय" के आदेशानुसार संस्थान के प्रबंधन के द्वारा कार्याध्यक्ष (श्री राजीव कुमार मेहता) पर की गयी कार्रवाई किये जाने की सूचना के बारे में वह जो भी "न्यायालय" के आदेशानुसार

संस्थान के प्रबंधन के द्वारा श्री राजीव कुमार मेहता पर की गयी कार्रवाई एक प्रति की स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

35. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है श्री राजीव कुमार मेहता को संस्थान में रखे जाने के बारे में वह जिनके द्वारा संस्थान के हर कर्मचारियों को वेतनमानों में विसंगतियों किये जाने पर वह गलत तरीके से दी गयी पदोन्नतियों के कारण न्यायालय द्वारा भी दोषी पाये जाने पर भी संस्थान के प्रबंधन के द्वारा फिर एक दोषी पाये जाने पर भी संस्थान के हर समिति में उनको एक सदस्य के रूप में रखे जाने के बारे में इस पर स्पष्ट वह प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें। जबकि संस्थान के प्रबंधन के द्वारा श्री राजीव कुमार मेहता को संस्थान के हर समिति में फिर एक सदस्य के रूप में रखे गये हैं जिस अधिकारी को न्यायालय द्वारा दोंषी पाये गये हैं उसके उपरान्त भी संस्थान के प्रबंधन के द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार इस अधिकारी पर कार्यालय के प्रबंधन के द्वारा इन गलतीयों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई किये जाने को कहा गया था। लेकिन संस्थान के द्वारा भी इस अधिकारी को हर समिति में फिर से सदस्य रखे गये हैं। इस प्रकार से इसके बारे में स्पष्ट वह लिखित में वह "माननीय उच्च न्यायालय" के आनदेशानुसार इस पर की गयी कार्रवाई की स्पष्ट वह प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

36. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है संस्थान के प्रबंधन वह समिति के सभी सदस्यों को जो भी इस "भर्ती व पदोन्नतियों" के नियमावली में Under the Central Civil Servies (Revised Pay) Rules, 2008 and Under the Civil Servies (Revised Pay) Rules, 2019, Revised Pay Scales के वेतनमानों की तालिकों को वह दोनों न तो 6वें वेतन आयोग के वेतनमानों की तालिकों की तालिओं का कहीं पर भी इस "भर्ती व पदोन्नतियों" के नियमावली में इन तालिकाओं का विवरण कहीं पर भी नहीं दिया गया और न ही 7वें वेतन आयोग के वेतनमानों के तालिकों का विवरण के बारें में कहीं पर लिखित में विवरण इस "भर्ती व पदोन्नतियों" नियमावली में इन वेतनमानों का उल्लेख वह विवरण नहीं दिये जाने के बारे में इस पर वह उसके बारे में स्पष्ट वह प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने महति कृपा करें।

37. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि उप–कुलसचिव के पद पर जोकि वर्तमान में वित्त अधिकारी को इस पद जिम्मेदारी दी गयी है इस पद की **G.B. Agenda** संख्या के बारे में वह मंत्रालय से इस पद के लिए स्वीकृति के बारे में स्पष्ट व प्रमाणित सूचना की एक प्रति उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

38. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है कि उप–कुलसचिव (भूतपर्व उप–कुचिव श्री राजीव कुमार मेहता) संस्थान में जितने भी न्यायालय में भिन्न–भिन्न वर्ग के कर्मचारियों को अपने हक व न्याय के वेतनमानों के लिए भूतपूर्व उप–कुलसविच के द्वारा प्रबंधन को इस पर गुमराह किये गये हैं इस गुमराह किये जाने के कारण संस्थान के सभी कर्मचारियों को न्यायालय में जाने के

लिए मजबूर किये गये हैं। इसके लिए संस्थान के प्रबंधन के द्वारा भूतपूर्व उप–कुलसचिव पर (वर्तमान में संस्थान द्वारा सलाहाकार के रूप में रखे गयें हैं) उस इसके लिए जो भी संस्थान के प्रबंधन द्वारा की गयी कार्रवाई के बारे में स्पष्ट व प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

39. यह है कि आवेदनकर्ता का यह कहना है वर्तमान में श्री राजीव कुमार मेहता को संस्थान के प्रबंधन के द्वारा रखे गये हैं जिनके द्वारा संस्थान में सभी वर्ग के कर्मचारियों के वेतनमानों की गयी विसंगतियों वह पदोन्नतियों के लिए आर्थिक लाभों से वंचित किये गये हैं उसी अधिकारी को संस्थान के प्रबंधन द्वारा नये सिरे से पुनः एक सलाहकार के रूप में रखे जाने के बारे में, जिनके द्वारा संस्थान में कई प्रकार की गलतियॉं किये जाने पर भी संस्थान के प्रबंधन के द्वारा दूबारे से इस अधिकारी को (श्री राजीव कुमार मेहता को) रखे जाने के बारे में स्पष्ट वह प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाने महति कृपा करें।

नोटः यदि यह सूचना आपके कार्यालय से सम्बन्ध नहीं रखती है तो उसकी सूचना अधिनियम की धारा 6 (3) प्राववधानुसार आप इसे सम्बन्धित कार्यालय को फॉरवर्ड कर देंवे और उसकी एक प्रति हमें भी भेजने की कृपा करें तथा हिन्दी में सूचना उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

40. आवेदन कर्ता द्वारा जमा द्वारा जमा शुल करने का प्रमाण–पत्र : धनराशि रूपये 10/–पोस्टल आर्डर
आर्डर संख्या–**46F 361858**
दिनांक 05/11/2022
को शुल्क के रूप में संलग्न है

41. आवेदक के हस्ताक्षर व पता :

बलबीरसिंह चौहान 05-11-2022

(बलबीरसिंह चौहान)
मकान न0–1, लेन न0–1,
महिमा एनक्लेव केहरी गॉव,
पो0ओ0–चन्दनवाड़ी, प्रेमनगर,
देहरादून–248007,उत्तराखण्ड
फोन न0–9411108609।
E-mail:bsc@wii.gov.in

ANNEXURE-I

No. WII/RSAC/01/2019

27th October 2020

MINUTES OF THE MEETING OF THE INSTITUTIONAL GRIEVANCES REDRESSAL COMMITTEE HELD ON 23RD OCTOBER 2020 AT BOARD ROOM WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA (WII)

The meeting of Institutional Grievances Redressal Committee was held on 23rd October 2020 at 1500 hrs at Board Room of Wildlife Institute of India, Dehradun under the chairmanship of **Dr. Dhananjai Mohan , DWII & Chairman of Institutional Grievances Redressal Committee**. The following members of Institutional Grievances Redressal Committee were also present in this meeting

(a) Dr. Dhananjai Mohan		DWII and Chairman
(b) Dr. V.P.Uniyal ,Scientist G	-	Member
(c) Shri Rajiv Mehta, Academic Officer	-	Member
(d) Dr. Monali Sen,IFS, Registrar	-	Member Secretary

In this meeting the Grievances received from following employees of the Institute have been discussed:

(a) Shri. M.P.Aggarwal, PS to DWII
(b) Smt Sunita Agarwal, Senior Technical Officer –I.
(c) Smt Vikreshwari Dangwal, Senior Technical Officer –I.
(d) Shri M M Uniyal, Senior Technical Officer -I
(e) Shri P.K.Mukherjee, Section Officer
(f) Shri Balbir Singh Chauhan, Library Senior Technician –(4)

Monali Sen 28/10/2020

Grievances No.1

Shri. M.P.Aggarwal. PS to DWII

Case No 1:

The individual has requested to take up case with the competent authority for up gradation of post of Private Secretary (PS) to the level of Principal Private Secretary (PPS)/Senior Private Secretary (SPS). His application is placed vide page from c/95 to c/100.

The individual has brought his case in front of Institutional Grievances Redressal Committee. A very detailed discussion has been held from both levels.

The committee has apprised him that his case for Up gradation of the Post of Private Secretary (PS) to the Level of Principal Private Secretary (PPS)/Senior Private Secretary (SPS) to Director, WII w.e.f. 01.01.2019 has been discussed during Wildlife Institute of India (WII) Governing Body meeting which was held on 20th May, 2020 at 1030 hrs through Video Conferencing. While deliberating on the agenda, AS&FA said that the proposal for up gradation of the post of Private Secretary (PS) to the level Principal Private Secretary (PPS)/Senior Private Secretary (SPS) amounted to creation of new post and would require examination at the level of IFD of MoEFCC and also the approval of department of expenditure, Ministry of Finance. He also raised query on the need of modification of one single post

Decision:

After deliberate discussion the committee has recommended that this case will be submitted to the Ministry of Finance in the next financial year i.e. 2021-22 to consider this matter. The individual is satisfied the decision of the committee.

28/10/2020 28/10/20 28/10/20 28/10

It was also decided that Multiple Section Officer posting at less number vacant posts was a wrong action taken in 2013. Thereby Shri Mukherjee's eligibility will be considered based on next vacancy on retirement, of the SO's working as per 2013 posting list.

Grievances No.4:

Shri Balbir Singh Chauhan, Library Senior Technician –(4)

The individual has not fully satisfied as he has mentioned that he has not granted pay and allowances in accordance with VI Pay Commission Report and request to consider his request which was mentioned by him in detail in his application dated 11th August 2020. His application is placed vide page from c/47 to c /94.

The individual has brought his case in front of Institutional Grievances Redressal Committee. A very detailed discussion has been held in both levels. The committee has brought notice to the individual that he has been granted all dues as per court order. Thereafter the committee asks him to bring what are your actual grievances. The individual then stated in front of the committee that his request actually to consider his case for grant of Grade Pay from 4200 to 4600 from November 2009 to October 2016 and Grade Pay 4600 to 4800 from November 2016 onwards.

Decision:

The committee has agreed to grant him Grade pay from 4200 to 4600 wef November 2009 to October 2016 and Grade Pay 4800 from November 2016 onwards. The calculation of his arrears will be done accordingly. However arrears will be paid only on receipt of grant from Ministry in WII Grant in Aid budget.

28/10/2020

28/10/2020

28/10/2020

All the 6 aggrieved employees were satisfied with the decision of committee.

The meeting ended with a vote of thanks to Director and Chairman and Members of the Institutional Grievances Redressal Committee.

(Dr. Dhananjai Mohan,IFS)
DWII and Chairman Institutional Grievances Redressal Committee.

(Dr. V.P.Uniyal)
Scientist G and Member Institutional Grievances Redressal Committee

(Shri Rajiv Mehta) 28/10/2020
Academic Officer and Member Institutional Grievances Redressal Committee

(Dr. Monali Sen, IFS) 28/10/2020
Registrar and Member Secretary Institutional Grievances Redressal Committee

Circulation

1. PS to DWII.
2. Members of Committee.
3. Aggrieved employees.
4. Deputy Registrar for putting up each case individually within 15 days time.
5. Guard File.

ANNEXURE-II

WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
CHANDRABANI, DEHRADUN

No. A/3-13/87-WII Vol IV

Dated: 1st July' 2005

OFFICE MEMORANDUM

The Government of India recently issued guidelines to obtain original cast certificate from those persons who secured job against the post reserved for the candidates hailing from Scheduled Tribes. You were appointed at this Institute against the post earmarked for Scheduled Tribe. Hence, original Cast Certificate may be supplied to the undersigned for needful action.

(P.K. Aggarwal)
Administrative Officer

Shri Balbir Singh Chauhan,
Tradesman 'A' (Library Assistant)

ANNEXURE-III

Wildlife Institute of India
Chandrabani, Dehradun

NO: A/3-7/95-WII

Dated: 12. 07. 2019

To,

Shri Balbeer Singh, Chauhan,
Technical Assistant (2)
Wildlife Institute of India
Dehradun

Subject: Fixation of pay and promotion of Grade Pay Rs. 4200 – reg.

Sir,

This has reference to your representation dated 07.06.2019 on the above mentioned subject. With regard to your pay fixation w.e.f. 01.01.2006, it is reiterated that you had submitted your representation dated 22.08.2014, which was examined by the institute and reply was furnished vide Institute letter no. A/3-7/95-WII dated 11.09.2014 (copy enclosed). The reason for reduction in fixation of pay has been indicated in the said letter dated 11.09.2014. You may also refer to the undertaking dated 20.10.2008 given by you at the time of fixation of pay on implementation of CCS (Revised Pay) Rules 2008 intimating "***that any excess payment that may be found to have been made as result of incorrect fixation of pay or any excess payment detected in the light of discrepancies noticed subsequently will be refunded to the Government either by adjustment against future payments due or otherwise***". (copy enclosed).

Vide Office Order No. WII/ADM/2012-13/025 dated 27.06.2013 you are given assessment promotion from Technical Group-II (2) to Group-III (3) w.e.f. 27.11.2009 in Pay Band-2 (9300-34800) with Grade Pay of Rs 4200. Subsequently, your pay was revised vide Office Order No. A/2-11/2009-WII dated 20.08.2013(copy enclosed)

The Finance Section is being requested to workout the difference of pay and allowance as per office order dated 20.08.2013.

Yours faithfully,

(P.K.Aggarwal)
Deputy Registrar

Encl: As above

137

ANNEXURE-IV

WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
CHANDRABANI DEHRADUN

No.A/2-11/2009-WII

Dated 20 August 2013

Office Order

With the approval of the Competent Authority, the pay of Shri Balbeer Singh Chauhan, Technical Group II (3) is hereby fixed as under:

Sl. No.	Period		Pay	Grade Pay
	From	To		
1.	01.04.2006	30.06.2006	8000	2800
2.	01.07.2006	30.06.2007	8330	2800
3.	01.07.2007	30.06.2008	8670	2800
4.	01.07.2008	30.06.2009	9020	2800
5.	01.07.2009	26.11.2009	9380	2800
6.	27.11.2009	30.06.2010	9750	4200
7.	01.07.2010	30.06.2011	10170	4200
8.	01.07.2011	30.06.2012	10610	4200
9.	01.07.2012	30.06.2013	11060	4200
10.	01.07.2013	30.06.2014	11520	4200

(P.K.Aggarwal)
Administrative Officer

Shri Balbeer Singh Chauhan,
Technical Group II (3)

Attested

P. K. Aggarwal
Administrative Officer
भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India
Chandrabani, Dehradun-248001

Distribution :

1. Finance Officer
2. Personal File/Service Book
3. Guard File

B.S. Chauhan
29-8-2013

(1)

WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
CHANDRABANI DEHRADUN

ANNEXURE-V

No.A/2-3/2007-WII

Dated 21 March 2012

Office Order

In continuation of Office Order No. No.A/2-8/2010-WII dated 24.02.2012 and the option exercised by him, the pay of Shri Balbeer Singh Chauhan, Technical Group II (3) is hereby fixed in the Pay Band 2 (9300-34800) Grade Pay 4200 as under:

Sl. No.	Period		Pay	Grade Pay
	From	To		
1.	27.11.2010	30.06.2011	10500	4200
2.	01.07.2011	30.06.2012	10940	4200

His date of next increment will be 01.07.2012.

This issues with the approval of the Competent Authority.

(P.K.Aggarwal)
Administrative Officer

Shri Balbeer Singh Chauhan,
Technical Group IV (Grade 3)

Distribution :

1. Finance Officer
2. Personal File/Service Book
3. Guard File

certified copy

AO

(9)